

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़

रायगढ़ रोड़, धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ [छ.ग.-496116]

Email - dfo_dharamjagarh@rediffmail.com Phone & Fax : 07766-266599, 07766-266739

क्रि / मा.चि. / 1308

धरमजयगढ़, दिनांक 13/03/23

परियोजना प्रबंधक,
(ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)
छ.ग.सड़क विकास परियोजना
लोक निर्माण विभाग बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- Diversion of forest land for non- forest Purpose under forest conservation Act, 1980 Proposed for Diversion of forest land for Widening of Existing Road From Bakaruma- Lailunga Road area 3.843ha.

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर का पत्र क्र./FC-I/ROCH-14/2022/1279 दिनांक 27.02.2023

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत धरमजयगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत लैलुंगा से बाकारुमा मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण का कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत कुल क्षेत्र 3.843 हे. प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा अधिरोपित शर्तों के तहत प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। शर्त क्र. iii एवं iv के परिपालन में निम्नानुसार राशि छ0ग0 कैम्पा खाते में जमा किया जाना है:-

1. सी.ए. हेतु राशि - 7.7 ha.X 878787= 6766659.90

2. NPV हेतु राशि - 4721471.37

11488131.27

अतः आपको लेख किया जाता है कि, प्रस्तावित सी.ए. क्षेत्र का अधिसूचना प्रस्ताव हेतु कलेक्टर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें तथा सी.ए. की राशि रु. 6766659.90 एवं NPV की राशि रु. 4721471.37 कुल 11488131.27 रु. (शब्दों में एक करोड़ चौदह लाख अठासी हजार एक सौ एकतिस रु. सताईस पैसे मात्र) छ.ग. राज्य कैम्पा (CAMP) खाते में वेब पोर्टल पर ई- चालान के माध्यम से जमा कर चालान की प्रति एवं अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन 10 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

वनमण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल

पृ. क्रमांक/मा.चि./2023/1309

/धरमजयगढ़, दिनांक 13/03/23

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) अटल नगर नवा रायपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. उपवनमण्डलाधिकारी लैलुंगा की ओर सूचनार्थ शर्त क्र. III के परिपालन में प्रकरण में प्रस्तावित सी.ए. क्षेत्र के सीमांकन, सर्वे, Permanent pillars निर्माण 10 वर्ष के रखरखाव एवं प्रकरण में प्रभावित वृक्ष विदोहन योजना हेतु डीमांड नोट जारी करना है। अतः परियोजना तैयार कर 05 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

वनमण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल